

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

Mail ID:-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक :- 617. (अनु०)  
प्रेषक,

दिनांक :- 03/04/2024

ई० अवधेश कुमार,  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदक को एकरारनामा  
विखंडन के उपरान्त काली सूची में सम्मलित करने हेतु विहित प्रपत्र  
समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण  
करने हेतु बार-बार स्मारित करने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदक का  
एकरारनामा विखंडन करने के उपरान्त काली सूची में सम्मलित करने हेतु विहित प्रपत्र  
तैयार कर अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासमाजन



(ई० अवधेश कुमार)  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

03/04/24

**संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु आवश्यक प्रपत्र।**

योजना का नाम:- पी0एम0जी0एस0वाई0 भरौन मेसोथा पुल से खरका रीमा कतारौल गुराछरी टोला तक।  
 शीर्ष:-MMGSY (SC) कार्य प्रगण्डल:- दरभंगा-2 प्रखण्ड:- जाले।

| क्र० सं० | संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु आवश्यक जॉच सूची :-                                                                 | स्थिति                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ संख्या |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा का कारण                                                                                | संवेदक द्वारा मूल कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण।                                                                                                                                |              |
| 2        | संवेदक का नाम, एकरारनामा में प्रयुक्त निबंधन संख्या/ अद्यतन निबंधन संख्या एवं पत्राचार का पता, ई-मेल/ मोबाईल नं०/ पैन नं० | श्री रंजीत कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट-रतनपुर, थाना-कमलौल जिला-यसगंगा (पिन नं०-847307)<br>(Regd No-3220245 Class-III)<br>PAN-BMKPS8034D<br>मेल आईडी-<br>kumarsinghranjl533@gmail.com<br>मो० नं०- 6207290550                      |              |
| 3        | एकरारनामा की सत्यापित छाया प्रति (एकरारनामा राशि, कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की तिथि)                                | संलग्न।                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 4        | किस कंडिका के तहत काली सूची में सम्मिलित किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख करें                                             | बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से स्मार करने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं करने कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के Clause of Contract की कंडिका-11 उप कंडिका- VI एवं SBD के की कंडिका-03 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत। |              |
| 5        | प्रतिभूतियों की जन्ती से संबंधित पत्र की सत्यापित छाया प्रति।                                                             | प्रक्रियाधीन है।                                                                                                                                                                                                               |              |
| 6        | क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर संवेदक को दिए गये निर्देश की सत्यापित छाया प्रति।                                | EE इस कार्यालय का पत्रांक-1802 दिनांक-09.09.2023, पत्रांक-1787 दिनांक-08.10.2023 एवं पत्रांक-454 दिनांक-14.03.2024 (छाया प्रति संलग्न)                                                                                         |              |
|          |                                                                                                                           | SE                                                                                                                                                                                                                             |              |
|          |                                                                                                                           | CE                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 7        | क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित छाया प्रति।                              | N/A                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 8        | EE, SE एवं CE की स्पष्ट अनुशंसा (केवल अग्रसारण पत्र, मान्य नहीं है)                                                       | EE (संवेदक को निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से स्मारित करने के उपरान्त भी अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं किया गया)                                                                                      |              |
|          |                                                                                                                           | SE                                                                                                                                                                                                                             |              |
|          |                                                                                                                           | CE                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 9        | गुणवत्ता निरीक्षण (NQM/SQM/IE) में कार्य के गुणवत्ता का स्तर (S/SIR/U)                                                    | संवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं किया गया। गुणवत्ता का स्तर (U)                                                                                                                                                               |              |
| 10       | क्या विखंडन के बाद संवेदक द्वारा कहीं वाद या अपील दायर किया गया है? अगर उत्तर "हाँ" है तो अद्यतन स्थिति क्या है?          | नहीं                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 11       | योजना में कुल अद्यतन भुगतान एवं MB (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ) की छाया प्रति।                                                 | संवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं किया गया                                                                                                                                                                                     |              |
| 12       | पथ/ पुल का अद्यतन न्यूनतम दस (10) फोटोग्राफ (अनिवार्य)                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 13       | अन्य कोई आवश्यक कागजात, मामले के अनुसार                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                              |              |

नोट:-सभी कंडिकाओं का मरा होना आवश्यक है।

कार्यपालक अनियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रगण्डल, दरभंगा-2

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, दरभंगा

मुख्य अभियंता-6  
ग्रामीण कार्य विभाग  
बिहार, पटना।